UPRN010038702026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.14,(बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट), कानपुर देहात

उपस्थित– पीयूष तिवारी.....(उच्चतर न्यायिक सेवा) UPID–1603

जमानत प्रार्थनापत्र सं. 1510/2026

CNR No–UPRN010038702026

शुभम सोनकर उम्र 28 साल पुत्र रमाशंकर सोनकर निवासी 117/325, एम० ब्लाक काकादेव, थाना रावतपुर जिला कानपुर नगर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डी०जी०सी० फौजदारी कानपुर देहात।

... ... .अभियोजन।

मुकदमा अपराध सं.–147/2026

अं०धारा–109(1) भारतीय न्याय संहिता

व धारा 3/25 आयुध अधिनयम

थाना बिल्हौर, कानपुर नगर।

अधिवक्ता अभियुक्त– श्री के०एस० गांधी (एड०)।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी – श्री अमित सिंह चौहान (सहायक शासकीय अधिवक्ता)

दिनांक 28.07.2026

1– प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त शुभम सोनकर पुत्र रमाशंकर द्वारा मुकदमा अपराध सं. 147/2026 अं०धारा–109(1) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/25 आयुध अधिनयम थाना बिल्हौर, कानपुर नगर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थनापत्र के समर्थन में अभियुक्त के पिता/पैरोकार रमाशंकर का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उसका कथन है कि यह अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

2– संक्षेप में जमानत प्रार्थनापत्र में अभियुक्त पक्ष का कथन है कि थाना पुलिस द्वारा उसे प्रस्तुत प्रकरण मे झूठा फंसाया गया है। वास्तविकता यह है कि अभियुक्त दिनांक 05.06.2026 को अपने निजी काम से अपने वाहन स्फिस्ट डिजायर से झिबरामऊ जा रहा था। थाना बिल्हौर की पुलिस द्वारा उसे चेकिंग हेतु रोका गया व गाड़ी के कागजात मांगे। कागजात कुछ अपूर्ण थे जिसकी वजह से पुलिस द्वारा नाजायज पैसो की मांग की गयी। जब इस पर विवाद हुआ तो मौके पर मौजूद एक सिपाही

अभियुक्त को पहचानता था, जिसकी निशानदेही पर अभियुक्त केा पकड़ लिया गया और झूठी घटना दिखाते हुये उसमे नामजद कर दिया गया। पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट मे दर्शायी गयी सम्पूर्ण कहानी पूर्णतः असत्य है। पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाने ले जाकर उसके दोस्तो के नाम पते पूछे गये व तदोपरान्त मुकदमे को रंगत देने हेतु उनके नाम भी फर्जी तौर पर मुकदमे मे बढ़ा दिखा दिये गये। पुलिस द्वारा अभियुक्त पर जो भी पूर्व के मुकदमे दर्शाये गये है, वह उनमें मे जमानत पर है। अभियुक्त दिनांक 05.06.2026 से जिला कारागार मे निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त न्यायालय में उचित जमानत प्रतिभू प्रस्तुत करने हेतु तैयार है। अतः निवेदन है कि आवेदक/अभियुक्त को प्रस्तुत प्रकरण में जमानत पर रिहा करने की कृपा की जाये।

3– उपरोक्त प्रार्थनापत्र पर मौखिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुए विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण में आक्षेपित घटना की तिथि पर थाना बिल्हौर की पुलिस द्वारा अभियुक्त व उसके साथियों के वाहन को चेकिंग हेतु रोकने का इशारा किया गया था, जिस पर उनके द्वारा वाहन को न रोकते हुये तेज गति से भगा लिया गया। जब पुलिस द्वारा पीछा करते हुये वाहन को रूकवाया गया तो वाहन मे से अभियुक्त शुभम नीचे उतरा व उसने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी पर अवैध तमंचे से फायर करते हुये जानलेवा हमला कर दिया तथा पुलिस के ललकारने पर खेतो की तरफ भाग गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त का पीछा करते हुये उसे खेत मे से गिरफतार किया गया, जिसके पास से पुलिस द्वारा घटना मे प्रयुक्त अवैध तमंचा मय कारतूस की बरामदगी की गयी। अभियुक्त पेशेवर अपराधी है जिसका लम्बा आपराधिक इतिहास है। ऐसे मे, अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए वह जमानत प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

4– प्रस्तुत प्रकरण मे थाना बिल्हौर की पुलिस द्वारा अभियुक्त के जमानत आवेदन के संबंध मे आपत्ति/आख्या प्रस्तुत करते हुये उसका प्रस्तुत आपराधिक मामले के अतिरिक्त 11 अन्य दाण्डिक वादों का आपराधिक इतिहास होना बताया गया है। उपरोक्त के संबंध मे अभियुक्त की तरफ से उसके पिता/पैरोकार द्वारा पूरक शपथपत्र प्रस्तुत करते हुये यह अवगत कराया गया कि अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस आख्या मे दर्शाये गये सभी आपराधिक मामले वर्तमान मे विचाराधीन है, जिसमे अभियुक्त की जमानत सक्षम न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त के पिता/पैरोकार द्वारा पूरक शपथपत्र के संलग्नक के रूप मे अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस आख्या मे दर्शाये गये सभी आपराधिक प्रकरणों से संबंधित, सक्षम न्यायालय द्वारा पारित जमानत आदेशों की प्रति प्रस्तुत की गयी है।

5– मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक लोक अभियोजक की बहस को सुना व प्रकरण से संबंधित मु०अ०सं० 147/2026 अन्तर्गत धारा 109(1) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बिल्हौर, कानपुर नगर की केस डायरी, रिमाण्ड प्रपत्र तथा अन्य अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

6– प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा द्वारा थाना बिल्हौर, कानपुर नगर में दिनांक 05.06.2026 की तिथि पर दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट मे यह अंकन आया है कि वादी व अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा दिनांक 04 व 05.06.2026 की मध्य रात्रि मे आलियापुर चौराहे पर संदिग्ध व्यक्ति वाहन की

तलाश हेतु चेकिंग की जा रही थी। समय लगभग 12:15 बजे रात्रि एक वाहन स्फिस्ट डिजायर संख्या UP 78 KN 0543 उत्तरीपुरा की तरफ से आती दिखायी दी जो पहले तो पुलिसकर्मियों के पास आकर धीमे हुयी परन्तु जैसे ही उक्त वाहन को रूकने का इशारा किया गया, वाहन चालक अचानक से स्पीड बढ़ाकर गाडी को बिल्हौर की तरफ भगा ले गया। पुलिस वालों द्वारा पीछा करते हुये प्रश्नगत वाहन को जे० आर० कोल्ड स्टोरेज के पास लिखवा लिया, तो उसमे से अभियुक्त बाहर निकला जिसने पुलिसवालों पर तमंचा साधते हुये उन्हे मार देने की धमकी दी। इतने मे गाडी के अंदर बैठे युवको ने गोली चलाने हेतु उसे आवाज दी जिस पर उक्त अभियुक्त ने वादी मुकदमा पर जान से मारने की नियत से गोली चला दी। वादी उपनिरीक्षक द्वारा समय रहते झुक जाने से उक्त गोली मिस कर गयी। जबतक अभियुक्त दोबारा बंदूक मे गोली लगा पाता, तब तक पुलिस ने उसे दौड़ा लिया जिस पर वह साथ लगे खेतो की तरफ भाग गया। शेष अभियुक्तगण पुनः गाडी को लेकर बिल्हौर की तरफ भागने लगे, जिन्हे अंततः पुलिस अधिकारीगण द्वारा गाडी के पहिओ पर सर्विस रिवाल्वर से फायर करते हुये रोकने का प्रयास किया गया। गोली लगने से टायर फट जाने के कारण वाहन चलने की स्थिति मे नही रहा, जिस पर उसमे सवार अन्य अभियुक्तगण वाहन से उतर कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गये। गोली चलाने वाले अभियुक्त को पुलिस द्वारा खेतो से पकड लिया गया व उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा बरामद किया जिसके अंदर कारतूस का खोखा मौजूद था।

7– प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त पर आक्षेप है कि उसके द्वारा आक्षेपित घटना की तिथि पर पुलिस वालों पर जान से मारने की नियत से गोली चलायी गयी, जिस घटना मे प्रयुक्त आयुध की बरामदगी पुलिस द्वारा उसकी गिरफतारी के समय उसके पास से की गयी। केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि फर्द बरामदगी मे पुलिस द्वारा अभियुक्त के पास से गिरफतारी के समय की गयी कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी होना नही बताया गया है। इसके अतिरिक्त इस स्तर तक की गयी विवेचना मे विवेचक द्वारा ऐसे किसी स्वतंत्र साक्षी का बयान दर्ज नही किया गया है, जिसने घटना की पुष्टि की हो। आक्षेपित घटना मे किसी पुलिसकर्मी के चुटहेल होने के बाबत प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा इस स्तर तक की गयी विवेचना मे कोई अंकन नही आया है।

8– अभियुक्त के जमानत आवेदन पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुये पुलिस द्वारा अभियुक्त का 11 अन्य आपराधिक मामलो का इतिहास होना बताया गया है। उपरोक्त संबंध मे अभियुक्त की तरफ से उसके पिता/पैरोकार द्वारा जो पूरक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसके साथ अभियुक्त पक्ष द्वारा संलग्न कर पुलिस आख्या मे वर्णित सभी आपराधिक मामलो से संबंधित जमानत आदेशो की प्रति को प्रस्तुत किया गया है जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सभी मामलो मे सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्व मे अभियुक्त की जमानत याचिका स्वीकार की जा चुकी है। सहायक लोक अभियोजक द्वारा प्रश्नगत मामलो मे अभियुक्त की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकृत किये जाने के तथ्य को प्रतिवादित नही किया गया है। अभियुक्त की दोषसिद्धि का कोई आपराधिक इतिहास नही बताया गया है। अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण मे दिनांक 05.06.2026 से जिला कारागार मे निरूद्ध है।

9– ऐसे में उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, बिना मामले के गुण–दोष पर कोई अभिमत दिए, यह

न्यायालय अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु पर्याप्त आधार पाती है। तदनुसार निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त शुभम सोनकर पुत्र रमाशंकर सोनकर द्वारा मुकदमा अपराध सं.147/2026 अंतर्गत धारा–109(1) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बिल्हौर, कानपुर नगर के प्रकरण में प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र सं० 1510/2026 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मुबलिग 75,000/–(पिछत्तर हजार रूपये) धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू, विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय की सन्तुष्टि पर दाखिल करने पर, उसे जमानत पर रिहा किया जाता है।

<u>दि.– 28.07.2026</u>

(पीयूष तिवारी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं.14,
(बलात्संग एवं पॉक्सो एक्ट), कानपुर देहात।

Digitally signed by PIYUSH TIWARI
Date: 2026.07.29 10:08:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court